II/निग०/सीधी/भू.रा०/2018/02122

(325)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय म०प्र० ग्वालियर श्रृंखला

न्यायालय रीवां (म०प्र०)

विलोपित/विलोपित

विलोपित/विलोपित

रामायण प्रसाद पिता मोतीलाल तिवारी निवासी ग्राम दुधमनिया, तहसील रामपुर नैकिन सर्किल हनुमानगढ़, जिला–सीधी (म०प्र०) ————————आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. श्री शारदा प्रसाद पिता मिथिला प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम–दुधमनिया, तहसील–रामपुर नैकिन, सर्किल हनुमानगढ़, जिला–सीधी (म०प्र०)
2. म०प्र० शासन ————अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्तागण

अधि० श्री राकेश तिवारी द्वारा पेश/02.4.18

कार्ड ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण आलोच्य आदेश माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील रामपुर नैकिन सर्किल हनुमानगढ़, जिला–सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 44/अ–19(1)/1992–93 आदेश दिनांक–29.03.1993 जिस पर से गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम दुधमनिया स्थित शासन के स्वामित्व की कृषि भूमि आराजी खसरा क्रमांक–69, 28 रकवा......... जो सदा सर्वदा से आवेदक के कब्जे दखल की भूमि रही है, का विधि विरूद्ध किया गया व्यवस्थापन। पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

सूक्ष्म तथ्यः–

1. यह कि प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन में काफी विधिक बल है, जिसके सफल होने की पूर्ण संभावना है। आवेदक ग्राम दुधमनिया तहसील रामपुर नैकिन का गरीब भूमिहीन कृषक है, उसके पिता शसस्त्र बल में नौकरी करते हुए हमेशा गांव से बाहर शासन की निष्ठा के साथ सेवा करते हुए वर्तमान में सेवा निवृत्ति है, आवेदक ग्रामीण परिवेश का अपढ़, अशिक्षित व्यक्ति है, उसके पुस्तैनी कब्जे दखल की भूमि आराजी खसरा क्रमांक–28, 69 रकवा 2.50 है0 उसके पुस्तैनी कब्जा दखल की भूमि है,

रामायण प्रसाद तिवारी

(325)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सीधी / भू–रा0 / 2018 / 2122 जिला–सीधी

रामायण प्रसाद / शारदा प्रसाद

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री राकेश तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन, सर्किल हनुमनगढ़, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 44 / अ–19(1) / 1992–93 में पारित आदेश दिनांक 29.03.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य